

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
15.4.25	उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा। R.M.A. Case No.- 09/2017-18 बकरीद मियाँ एवं अन्य बनाम मनु मियाँ एवं अन्य R.M.A. Case No.- 18/2011-12 बकरीद मियाँ एवं अन्य बनाम मनु मियाँ एवं अन्य आदेश प्रस्तुत वाद R.M.A. Case No.-09/2017-18 अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Rev. Misc. Case No.-22/2016-17 में दिनांक-07.12.2016 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील है एवं R.M.A. Case No.-18/2011-12 अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Settlement Case No.-274/1992-93 में दिनांक-13.01.2012 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर है। R.M.A. Case No.-09/2017-18 एवं R.M.A. Case No.-18/2011-12 अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक-10.11.2023 को पारित आदेश के आलोक में Amalgamate किया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Rev. Misc Case No.-22/2016-17 में दिनांक-07.12.2016 को पारित आदेश के द्वारा मौजा-मिरगा के दाग संख्या-412 अंतर्गत बन्दोबस्त अंश रकवा जमीन दाग संख्या-412/B रकवा-36 डी0 एवं दाग संख्या-412/C रकवा-71 डी0 कुल-1.07 एकड़ जमीन का वार्षिक लगान 10 रुपये प्रति एकड़ एवं उस पर अन्य शेष राशि धार्य करने की स्वीकृति की गई है, साथ ही अंचल अधिकारी, नारायणपुर को आदेश दिया गया है कि जाँचोपरांत स्वयं सम्पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात् अपने स्तर से विधिवत शुद्धिपत्र निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Settlement Case No.-274/1992-93 में दिनांक-13.01.2012 को पारित आदेश में अंकित है, “अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि विज्ञ उपायुक्त, जामताड़ा के द्वारा पारित आदेश के आलोक में अनावदी खाता के तहत दाग नं0-412, कुल रकवा-05.40 एकड़ भूमि पर बकरीद मियाँ जो योग्य नहीं है को छोड़कर मौजा के गरीब भूमिहीन रैयत जो वास्तव में बन्दोबस्ती पाने योग्य है का प्रस्ताव दें” R.M.A. Case No.-09/2017-18 के अपीलकर्ता बकरीद मियाँ एवं अन्य के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वे मौजा-मिरगा, अंचल-नारायणपुर के गरीब जमाबन्दी रैयत हैं। गत सर्वे खतियान के अनुसार मौजा-मिरगा के दाग संख्या-412 रकवा-5.40 एकड़ किस्म पुरातन पतित है। अपीलकर्ता के जमाबन्दी खाता संख्या-403 से सटे हुए उक्त पुरातन पतित दाग संख्या-412 स्थित है। दाग संख्या-412 के रकवा-1.00 एकड़ जमीन पर अपीलकर्ता के पूर्वज के समय से अबतक जोत-आवाद किया जाता है। उक्त जमीन पर अपीलकर्तागण द्वारा आवासीय मकान, शेष पर खलिहान एवं सब्जी का बागवानी कर अपने परिवार के उपयोग में लगाया जाता है। उक्त जमीन की संचाल परगना काश्तकारी अधिनियम-1949 की धारा-28 के तहत बन्दोबस्ती के लिए ग्राम प्रधान से प्रधानी पट्टा के लिए अनुरोध किया गया लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा उक्त जमीन के लिए पट्टा नहीं दिया गया। प्रधान पट्टा निर्गत नहीं किये जाने के कारण संचाल परगना काश्तकारी अधिनियम-1949 की धारा-28 के तहत अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा में Settlement Case No.-274/1992-93 के रूप में अपीलकर्ता के द्वारा आवेदन किया गया। Settlement Case No.-274/1992-93 में दिनांक-26.02.1993/26.03.1993 को पारित आदेश के द्वारा बन्दोबस्ती कराने से इन्कार कर दिया गया। Settlement Case No.-274/1992-93 में दिनांक-26.02.1993/26.03.1993 को पारित आदेश के विरुद्ध उपायुक्त महोदय के न्यायालय, दुमका में अपील आवेदन किया गया जो वाद R.M.A. Case No.-11/1993-94 के रूप में है। जामताड़ा के नवसृजित जिला होने के कारण उक्त वाद का स्थानांतरण उपायुक्त महोदय के न्यायालय, जामताड़ा में किया गया जो R.M.A. Case No.-169/2001-02 के रूप में दर्ज है एवं दिनांक-10.10.2007 को पारित आदेश में कहा गया कि मौजा-मिरगा के प्लॉट नं0-412 के अंश	

रकवा-48 डी0 जमीन का बन्दोबस्ती अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा में Settlement Case No.-274 of 1988-89 में दिया जा चुका था, जो कि संचाल परगना काश्तकारी अधिनियम-1949 बन्दोबस्ती की सिद्धांत के विरुद्ध है। पुनः तत्कालीन उपायुक्त महोदय द्वारा निदेश दिया गया है कि जाँच कर सुनिश्चित हो कि वादी या प्रतिवादी के कितना जमीन बन्दोबस्त प्राप्त है इसके अतिरिक्त जमीन का बन्दोबस्ती किया जाना बन्दोबस्ती के सिद्धांत के बाहर है उनके द्वारा पुनः निदेश दिया गया कि भूमि का बन्दोबस्ती एवं भूमिहीनों को बन्दोबस्ती देना चाहिए। लेकिन Settlement Case No.-274 of 1992-93 में दिनांक-13.01.2012 को पारित आदेश में मनु मियाँ के संबंध में मनु मियाँ को पट्टा सम्पुष्टि हेतु आवेदन नहीं देने का बात कहा गया एवं बकरीद मियाँ को भूमि बन्दोबस्ती नहीं पाने योग्य रैयत कहा गया। अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय के Settlement Case No.-274 of 1992-93 में दिनांक-13.01.2012 को पारित आदेश के विरुद्ध उपायुक्त महोदय के न्यायालय, जामताड़ा में R.M.A. Case No.-18/2011-12 अपील दिनांक-09.02.2012 को दायर किया गया, इस वाद में लेकिन इस वाद के लंबित रहते ही अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के Rev. Mice Case No.-01/2012-13 में दिनांक-09.05.2014 को पारित आदेश द्वारा कुल रकवा-1.07 एकड़ भूमि हेतु पट्टा सम्पुष्टि स्वीकृति दिया गया पुनः अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के Rev. Mice Case No.-01/2012-13 में दिनांक-09.05.2014 को पारित आदेश के विरुद्ध उपायुक्त महोदय के न्यायालय में दायर R.M.A. Case No.-07/2014-15 के लंबित रहते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा Rev. Mice. Case No.-22/2016-17 में दिनांक-07.12.2016 को पारित आदेश द्वारा Rev. Mice Case No.-01/2012-13 में दिनांक-09.05.2014 को पारित आदेश में पट्टा सम्पुष्टि को आधार मानते हुए मनु मियाँ को मौजा-मिरगा में बन्दोबस्त कुल-1.07 एकड़ जमीन के लिए लगान धार्य कर दिया गया। तदनुसार अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि यह लगान धार्य न्यायसंगत नहीं है।

R.M.A. Case No.-09/2017-18 के उत्तरवादी मनु मियाँ के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वे मौजा-मिरगा के जमाबन्दी रैयत है। गत सर्वे खतियान के अनुसार मौजा-मिरगा के दाग संख्या-412 किस्म पुरातन पतित है। अपीलकर्ता द्वारा उसके जमाबन्दी दाग संख्या-412 से सटे हुए प्लॉट-403 के प्रधानी पट्टा हेतु प्रधान से अनुरोध किया गया लेकिन बकरीद मियाँ को अधिक जमीन रहने के कारण उसे प्रधानी पट्टा निर्गत नहीं किया गया। पुनः अपीलकर्ता द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय में भी पुरातन पतित जमीन की बन्दोबस्ती हेतु प्रार्थना किया गया लेकिन उनके न्यायालय में भी पुरातन पतित जमीन की बन्दोबस्ती नहीं दिया गया। पुनः उपायुक्त महोदय के न्यायालय में निदेश दिया गया कि पुरातन पतित भूमि का बन्दोबस्ती केवल भूमिहीन एवं निर्धन लोगों को दिया जाना चाहिए। अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Rev. Mice Case No.-01/2012-13 में दिनांक-09.05.2014 को पारित आदेश द्वारा मोनु मियाँ को प्रधान द्वारा दिनांक-03.01.1991 को निर्गत पट्टा संख्या-18 दाग संख्या-412/बी एवं 412/सी0 कुल रकवा-01.07 एकड़ भूमि हेतु पट्टा सम्पुष्टि की स्वीकृति दी गई है, तत्पश्चात् अंचल अधिकारी, नारायणपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक को ग्राम प्रधान मिरगा दाग संख्या-412 अन्तर्गत बन्दोबस्त अंश रकवा जमीन दाग संख्या-412/B, रकवा 36 डी0 एवं दाग संख्या-412/C, रकवा-71 डी0 कुल-1.07 एकड़ जमीन का वार्षिक लगान धार्य करने की स्वीकृति दी गई।

R.M.A. Case No.-09/2017-18 के उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के Rev. Mice Case No.-22/2016-17 में दिनांक-07.12.2016 को पारित आदेश में अंकित है कि “अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के Rev. Mice Case No.-01/2013-14 के द्वारा आवेदकों को प्रधानी पट्टा से बन्दोबस्त जमीन दाग दाग संख्या-412/बी एवं 412/सी0 कुल रकवा-01.07 एकड़ भूमि हेतु पट्टा सम्पुष्टि किया गया है।” पुनः अंकित है कि “अंचल अधिकारी, नारायणपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक को ग्राम प्रधान मिरगा से मौजा-मिरगा के दाग संख्या-412 अंतर्गत बन्दोबस्त अंश रकवा जमीन दाग संख्या-412/B रकवा-36 डी0 एवं दाग संख्या-412/C रकवा-71 डी0 कुल-1.07 एकड़ जमीन का वार्षिक लगान 10 रुपये प्रति एकड़ एवं उस पर देय अन्य शेष राशि धार्य करने की स्वीकृति दी जाता है जो बकाये की तिथि से देय होगा। अंचल

अधिकारी, नारायणपुर को आदेश दिया जाता है कि जाँचोपरांत स्वयं सम्पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात् अपने स्तर से विधिवत शुद्धिपत्र निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।” इस प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Rev. Misc. Case No.-22/2016-17 में दिनांक-07.12.2016 को पारित आदेश में त्रुटि प्रतीत नहीं होता है।

R.M.A. Case No.-18/2011-12 के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि उनका कहना है कि वे मौजा-मिरगा, अंचल-नारायणपुर के गरीब जमाबन्दी रैयत है। गत सर्वे खतियान के अनुसार मौजा-मिरगा के दाग संख्या-412 रकवा-5.40 एकड़ किस्म पुरातन पतित है। अपीलकर्ता के जमाबन्दी खाता संख्या-403 से सटे हुए उक्त पुरातन पतित दाग संख्या-412 इसस्थित है। दाग संख्या-412 के रकवा-1.00 एकड़ जमीन पर अपीलकर्ता के पूर्वज के समय से अबतक जोत-आवाद किया जाता है। उक्त जमीन पर अपीलकर्तागण द्वारा आवासीय मकान, शेष पर खलिहान एवं सब्जी का बागवानी कर अपने परिवार के उपयोग में लगाया जाता है। उक्त जमीन की संधाल परगना काश्तकारी अधिनियम-1949 की धारा-28 के तहत बन्दोबस्ती के लिए ग्राम प्रधान से प्रधानी पट्टा के लिए अनुरोध किया गया लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा उक्त जमीन के लिए पट्टा नहीं दिया गया। प्रधान पट्टा निर्गत नहीं किये जाने के कारण संधाल परगना काश्तकारी अधिनियम-1949 की धारा-28 के तहत अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा में Settlement Case No.-274/1992-93 के रूप में अपीलकर्ता के द्वारा आवेदन किया गया। Settlement Case No.-274/1992-93 में दिनांक-26.02.1993/26.03.1993 को पारित आदेश के द्वारा बन्दोबस्ती कराने से इन्कार कर दिया गया। Settlement Case No.-274/1992-93 में दिनांक-26.02.1993/26.03.1993 को पारित आदेश के विरुद्ध उपायुक्त महोदय के न्यायालय, दुमका में अपील आवेदन किया गया जो वाद R.M.A. Case No.-11/1993-94 के रूप में है। जामताड़ा के नवसृजित जिला होने के कारण उक्त वाद का स्थानांतरण उपायुक्त महोदय के न्यायालय, जामताड़ा में किया गया जो R.M.A. Case No.-169/2001-02 के रूप में दर्ज है एवं दिनांक-10.10.2007 को पारित आदेश में कहा गया कि मौजा-मिरगा के प्लॉट नं०-412 के अंश रकवा-48 डी० जमीन का बन्दोबस्ती अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा में Settlement Case No.-274 of 1988-89 में दिया जा चुका था, जो कि संधाल परगना काश्तकारी अधिनियम-1949 बन्दोबस्ती की सिद्धांत के विरुद्ध है। पुनः तत्कालीन उपायुक्त महोदय द्वारा निदेश दिया गया है कि जाँच कर सुनिश्चित हो कि वादी या प्रतिवादी के कितना जमीन बन्दोबस्त प्राप्त है इसके अतिरिक्त जमीन का बन्दोबस्ती किया जाना बन्दोबस्ती के सिद्धांत के बाहर है उनके द्वारा पुनः निदेश दिया गया कि भूमि का बन्दोबस्ती गरीब एवं भूमिहीनों को अनुशांसा देना चाहिए। लेकिन Settlement Case No.-274 of 1992-93 में दिनांक-13.01.2012 को पारित आदेश में मनु मियाँ को पट्टा सम्पूष्ण हेतु आवेदन नहीं देने के संबंध में बात कहा गया एवं बकरीद मियाँ को भूमि बन्दोबस्ती नहीं पाने योग्य रैयत कहा गया। अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय के Settlement Case No.-274 of 1992-93 में दिनांक-13.01.2012 को पारित आदेश के विरुद्ध उपायुक्त महोदय के न्यायालय, जामताड़ा में R.M.A. Case No.-18/2011-12 अपील दिनांक-09.02.2012 को दायर किया गया। लेकिन इस वाद के लंबित रहते ही अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा Rev. Mice Case No.-22/2016-17 में दिनांक-07.12.2016 को पारित आदेश द्वारा मनु मियाँ को मौजा-मिरगा में बन्दोबस्त कुल-1.07 एकड़ जमीन के लिए लगान धार्य कर दिया गया। जबकि उपायुक्त महोदय का न्यायालय के R.M.A. Case No.-169/2001-02 जो की Settlement Case No.-274/1992-93 में दिनांक-26.02.1993/26.03.1993 को पारित आदेश विरुद्ध दर्ज था में दिनांक-10.10.2007 को पारित आदेश में अंकित है कि From the above fact, it is crystal clear that the appellant has his own plot no. 403 in contiguity of plot 412 But it is also clear that respondent second party Manu Mian had already been settled land. Therefore again settling another land with will be against the principle of settlement. In my opinion, a proper enquiry is needed to ascertain actual position of land and also to find out how many land the appellant or O.P. is holding The land should be settled only with landless or poor people and not with the rich men. The case is remanded to the S.D.O. to find out the real possession of the land. The lower court should recommend for settlement land only with landless and poor people. The case is remanded to lower court for needful. लेकिन अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Rev. Mice Case No.-01/2012-13 में दिनांक-09.05.2014 को पारित आदेश द्वारा मोनु मियाँ को प्रधान द्वारा दिनांक-03.01.1991 को निर्गत पट्टा संख्या-18 दाग संख्या-412/बी एवं 412/सी० कुल

रकवा-01.07 एकड़ भूमि हेतु पट्टा सम्पुष्ट किय गया एवं तत्पश्चात् अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा Rev. Misc. Case No.-22/2016-17 में दिनांक-07.12.2016 को पारित आदेश द्वारा 1.07 एकड़ जमीन का लगान धार्य कर दिया गया है। जबकि उपरोक्त आदेश में “Manu Mian had already been settled land” अंकित है। पुनः अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के द्वारा मनु मियाँ को पूर्व में जमीन बन्दोबस्त बाद भी पुनः जमीन बन्दोबस्त कर दिया गया लेकिन बकरीद मियाँ को जरूरतमंद होने के बावजूद भी जमीन का बन्दोबस्त नहीं किया गया। इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय के Settlement Case No.-274 of 1992-93 में दिनांक-13.01.2012 को पारित आदेश निरस्त करते हुए पुनर्विचार हेतु वापस करने का अनुरोध किया गया।

R.M.A. Case No.-18/2011-12 में उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि मनु मियाँ के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वे मौजा-मिरगा के जमाबन्दी रैयत है। गत सर्वे खतियान के अनुसार मौजा-मिरगा के दाग संख्या-412 किस्म पुरातन पतित है। अपीलकर्ता द्वारा उसके जमाबन्दी दाग संख्या-412 से सटे हुए प्लॉट-403 के प्रधानी पट्टा हेतु प्रधान से अनुरोध किया गया लेकिन बकरीद मियाँ को अधिक जमीन रहने के कारण उसे प्रधानी पट्टा निर्गत नहीं किया गया। पुनः अपीलकर्ता द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय में भी पुरातन पतित जमीन की बन्दोबस्ती हेतु प्रार्थना किया गया लेकिन उनके न्यायालय में भी पुरातन पतित जमीन की बन्दोबस्ती नहीं दिया गया। पुनः उपायुक्त महोदय के न्यायालय में निदेश दिया गया कि पुरातन पतित भूमि का बन्दोबस्ती केवल भूमिहीन एवं निर्धन लोगों को दिया जाना चाहिए। अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Settlement Case No.-274/1992-93 में दिनांक-13.01.2012 को पारित आदेश में अंकित है कि “अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि बन्दोबस्त जाने वाली रैयत की अपनी भूमि तथा बन्दोबस्त की जाने वाली भूमि को मिलाकर कुल-5.00 एकड़ भूमि होनी चाहिए जबकि बकरीद मियाँ का 5.00 एकड़ भूमि से अधिक है।..... बकरीद मियाँ को पूर्व से 06 बीघा जमीन बन्दोबस्ती दी जा चुकी है। उनके हिस्से में 5.00 एकड़ जमीन जमाबन्दी भूमि भी है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर बकरीद मियाँ भूमि बन्दोबस्ती पाने योग्य रैयत नहीं है।” उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि इस प्रकार अपीलकर्ता बकरीद मियाँ को पतित भूमि का बन्दोबस्ती किया जाना तर्कसंगत नहीं है।

R.M.A. Case No.-18/2011-12 में उभयपक्ष पक्ष के विज्ञ अधिवक्तों को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। Settlement Case No.-274 of 1992-93 में दिनांक-13.01.2012 को पारित आदेश में अंकित है कि “अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि बन्दोबस्त पाने वाले रैयत की अपनी भूमि तथा बन्दोबस्त दी जाने वाली भूमि को मिला कर कुल-5.00 एकड़ भूमि होनी चाहिए जबकि बकरीद मियाँ को 5.00 एकड़ भूमि से अधिक है। उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से मैं पाता हूँ बकरीद मियाँ को पूर्व में 06 बीघा जमीन बन्दोबस्त दी जा चुकी है। उनके हिस्से में 5.00 एकड़ अपनी जमाबन्दी भूमि भी है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर बकरीद मियाँ भूमि बन्दोबस्ती पाने योग्य रैयत नहीं है।” इस प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय के Settlement Case No.-274 of 1992-93 में दिनांक-13.01.2012 को पारित आदेश में त्रुटि प्रतीत नहीं होता है।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय के Rev. Misc. Case No.-22/2016-17 एवं Settlement Case No.-274 of 1992-93 में क्रमशः दिनांक-07.12.2016 एवं दिनांक-13.01.2012 को पारित आदेश यथावत रखते हुए अपील आवेदनों को खारिज किया जाता है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



उपायुक्त,
जामताड़ा।



उपायुक्त,
जामताड़ा।



